शीर्ष प्राथमिकता/महत्वपूर्ण

संख्या–6343/26–3–81–1

प्रेषक,

श्री राम कृष्ण,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन, ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ, दिनांक 14 अगस्त, 1981

विषय :—हरिजन कल्याण की विशेष समन्वित परियोजनाओं हेतु स्वीकृत अतिरिक्त धन के उपयोग के सम्बन्ध में मार्ग-दर्शक रूप रेखायें ।

महोदय,

न एवं कल्याण न–3

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को जनजीवन की मुख्य धारा में सम्मिलित करने के लिए यह नीति अपनाई गई है कि राज्य की विभिन्न विकास योजनाओं का पर्याप्त अंश लाभ अनुसूचित जातियों तक पहुंचे । उपरोक्त अंश लाभ को शीघ्रता से और समुचित रूप से प्राप्त करने के दृष्टिकोण से इस समय प्रदेश के हरिजन बाहुल्य वाले 82 विकास खण्डों में हरिजन कल्याण की विशेष समन्वित परियोजनायें वर्ष 1980–81 से चलायी जा रही है । इन परियोजनाओं के अन्तर्गत सर्वेक्षण परियोजना निर्माण तथा उसके कार्यान्वयन में "आर्थिक विकास की योजनाओं" के लिये वर्ष 1980–81 तथा वर्ष 1981–82 के अन्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड को 5–7 लाख रु0 प्रति वर्ष की दर से क्रमशः शासनादेश संख्या–5009/26–3–80–11(1)/80, दिनांक 24–10–1980, तथा संख्या–4703/26–3–81–11(1)/80, दिनांक 2–4–1981 द्वारा आवंटित की गई है । शासन के आदेशों के अनुसार वर्ष 1980–81 में स्वीकृत धनराशि को "प्रत्येक दशा में" 31–3–81 तक व्यय हो जाना चाहिये था और वर्ष 1981–82 में स्वीकृत धन को भी "प्रत्येक दशा में" 31–3–82 तक व्यय सुनिश्चित किया जाना है ।

2—शासन को उपरोक्त धन के उपयोग के सम्बन्ध में अब तक जो सूचनायें प्राप्त हुई हैं वे घोर निराशाजनक हैं । जिलों से औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से शासन को जो संदर्भ प्राप्त हुए हैं उनसे यह निष्कर्ष निकलता है कि अभी तक सामान्यतः प्रश्नगत धन के उपयोग के बारे में समुचित योजनायें फील्ड स्तर पर नहीं बन सकी । अनेक स्थानों पर धन के उपयोग के सम्बन्ध में इस प्रकार अनावश्यक शंकायें भी उठायी जा रही हैं कि अमुक बिन्दु पर शासन के आदेश स्पष्ट नहीं हैं । वस्तुस्थिति यह है कि शासन द्वारा उपरोक्त धन के उपयोग हेतु प्रत्येक विकास खण्ड के लिये व्यय की प्रत्येक मद इंगित नहीं की जा सकती क्योंकि योजनायें अनुसूचित जातियों की आवश्यकताओं और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार ही चयन की जानी हैं । इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए शासन के पार्श्वांकित पत्रों द्वारा जो निर्देश दिये गये हैं वे सामान्य प्रकृति के और नीति विषयक हैं और इन्हें जारी करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि जिला स्तरीय समिति को आवश्यकतानुसार योजना तथा धन की स्वीकृति में पर्याप्त स्वतन्त्रता हो और व्यय की प्रत्येक मद के सम्बन्ध में शासन के औपचारिक अनुमोदन में विलम्ब से बचा जा सके । जहां तक योजनाओं के चयन का सम्बन्ध है, आपकी सुविधा के लिए निम्नांकित मार्गदर्शक रूप रेखायें तथा योजनाओं का वरीयता म अवलोकनार्थ एवं समुचित कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है:—

1—4488/26–3–80, दिनांक 11–9–1980
2—अ0 शा0 प0 सं0–5053/छब्बीस–3–80, दिनांक 4–10–80
3—सं0–5009/26–3–80–11(1)/80, दिनांक 24–10–80

(1) विशेष समन्वित परियोजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों को व्यक्तिगत रूप से तथा उनसे सम्बद्ध क्षेत्रों के इन्फ्रास्ट्रक्चरल विकास पर विभिन्न विकास विभागों की योजनाओं में इन जातियों के लिए मात्राकृत की गई धनराशि का उपयोग किया जाएगा । प्रश्नगत धनराशि का उपयोग ऐसी योजनाओं पर किया जाना है जिससे आय में प्रत्यक्षतः वृद्धि हो और साथ ही इस धनराशि का व्यय "आर्थिक विकास" की ऐसी योजनाओं पर किया जाना अपेक्षित है जो अनुसूचित जातियों की आवश्यकताओं और स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप हो और जो धन के अभाव के कारण अन्य विभागों की मात्राकृत धनराशि द्वारा न चलायी जा सकें । इस प्रकार इस धनराशि का उपयोग आर्थिक विकास की योजनाओं में पूरक के रूप में किया जाना है । प्रश्नगत धन के उपयोग के बारे में अब तक जो रिपोर्ट प्राप्त हुई उनमें अधिकांश व्यय व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध कराये गये मार्जिन मनी ऋण तथा अनुदान पर किया गया । यद्यपि इस प्रकार व्यय करने की शासन द्वारा मनाही नहीं है फिर भी जब व्यक्तिगत अनुदान तथा मार्जिन मनी ऋण के लिए उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के पास तथा आई0 आर0 डी0 एवं अन्त्योदय आदि योजनाओं के अन्तर्गत पर्याप्त धन मौजूद है तो उचित होगा कि इस धनराशि का उपयोग सामूहिक रूप से कार्यान्वित किये जाने वाले आर्थिक विकास के कार्यक्रमों पर किया जाय जो व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध

करायी गयी सहायता से नहीं किये जा सकते। उदाहरण के तौर पर खाद, बीज, कृषि यंत्र आदि पर अनुदान कृषि विभाग, आई० आर० डी०, अन्त्योदय, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम आदि की योजनाओं में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जा सकता है किन्तु इसका लाभ तब तक सम्भव नहीं है जब तक खेत में पानी की व्यवस्था नहीं हो जाती। अभी हाल ही में नियोजनविभाग द्वारा प्रथम अग्रागामी परियोजना जो मलिहाबाद विकास खण्ड में चलायी जा रही है, के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि सिंचाई सुविधाओं के अभाव में कृषि उत्पादन के लिये उपलब्ध कराये गये अन्य इनपुट्स का लाभ नहीं उठाया जा सका। सिंचाई का कार्य व्यक्तिगत रूप से सहायता देकर कराना उतना उपयोगी नहीं होगा जितना सिंचाई की कम लागत को छोटी-छोटी सामूहिक योजनाओं के द्वारा किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण से बांकेगंज विकास खण्ड में लघु सिंचाई की जो परियोजना (संलग्न) चलायी जा रही है वह अन्य विकास खण्डों के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगी।

(2) कृषि के पश्चात् सर्वाधिक महत्वपूर्ण सेक्टर उद्योग का है। प्रायः यह देखा जाता है कि धन के व्यय में सुविधा के दृष्टिकोण से अनुदान दुधारू पशु खरीदने जैसी योजनाओं पर कर दिया जाता है जिससे न तो लाभार्थी तक पूर्ण ऋण का लाभ पहुंच पाता है और न ही उसकी आय में स्थायी और पर्याप्त वृद्धि हो पाती है। आवश्यकता इस बात की है कि ग्रामीण युवकों में उद्यमशीलता (ENTREPRENEURSHIP) उत्पन्न करके उन्हें अधिक से अधिक औद्योगिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। चूंकि व्यक्तिगत रूप से उद्योग स्थापित करने के लिये प्रक्षेत्रगत विकास खण्डों में पर्याप्त मात्रा में विभिन्न एजेंसियों के पास धन मौजूद है अतः यह उचित होगा कि इस धन का उपयोग औद्योगिक विकास के ऐसे कार्यक्रमों पर किया जाये जो सामूहिक हों। सामूहिक रूप से चलाये गये कार्यक्रमों का यह लाभ भी होगा कि सम्बन्धित उद्योगों के लिए नियोजित रूप से कच्चे माल की व्यवस्था प्रशिक्षण, उत्पादन की प्रगति में उत्पन्न कठिनाइयों का निराकरण एवं मार्केटिंग आदि की व्यवस्था की जा सकेगी। वस्तुतः जैसा ऊपर कहा गया है कि इस क्षेत्र को किस प्रकार की योजना दी जाए यह उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की आवश्यकताओं क्षमताओं, कच्चे माल की उपलब्धता और वितरण आदि की परिस्थितियों पर निर्भर करती है।

उद्योग के क्षेत्र में निम्नलिखित कार्यक्रमों पर आवश्यकतानुसार जोर दिया जाना चाहिए :—

(अ) हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग तथा उससे सम्बन्धित कार्य, जैसे—कपड़ों की रंगाई, कलेन्डरिंग इत्यादि।

(ब) कृषि पर आधारित उद्योग जैसे धान, मैट, कारपेट, आदि। इसी प्रकार वन क्षेत्रों में वन उत्पादन पर आधारित उद्योग जैसे दियासलाई, लाख, रेशा, लकड़ी का सामान इत्यादि।

(स) दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली अन्य वस्तुओं का उत्पादन।

(3) उद्योग के बाद पशुपालन की योजना पर महत्व दिया जाना चाहिये। पशुपालन योजनाओं में जैसा ऊपर कहा गया है व्यक्तिगत रूप से सहायता पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध करायी गयी धनराशि का विशेष लाभ नहीं प्राप्त होता अतः उचित होगा कि पशुपालन सम्बन्धी विभिन्न प्रकार की योजनाओं को सामूहिक रूप से चलाया जाए। अनुसूचित जाति सहकारी समितियों के गठन से यह कार्य किया जा सकता है। सामूहिक रूप से योजना चलाने का यह लाभ होगा कि समिति को अच्छे किस्म के पशु पक्षी उपलब्ध कराके उनके चारे की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था एवं उत्पादित वस्तु के विपणन को सुनियोजित ढंग से किया जा सकेगा।

(4) कृषि, उद्योग, पशुपालन सम्बन्धी उपरोक्त प्रकार की योजनाओं के कार्यान्वयन से सम्बन्धित इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में भी 20 प्रतिशत विशेष केन्द्रीय सहायता की धनराशि का उपयोग किया जा सकता है जिसके सम्बन्ध में निर्देश पहले से ही मौजूद हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में यदि कमी होती है तो उसे आई० आर० डी०, जिसमें 10 प्रतिशत तक इन्फ्रास्ट्रक्चर पर व्यय किये जाने का प्राविधान है अन्त्योदय (स्थानीय विकास) एन० आर० ई० पी० तथा अन्य योजनाओं के अन्तर्गत कराया जाना चाहिये।

(5) उपरोक्त के अनुसार यदि सामूहिक रूप से चलायी जाने वाली योजनाओं पर धन व्यय किया जायगा तो उसका प्रत्यक्ष लाभ क्षेत्र विशेष में दृष्टिगोचर होगा और धन का उपयोग भी शीघ्र ही कुछ चुनी हुई अच्छी योजनाओं में हो जावेगा। सामूहिक रूप से चलायी जाने वाली योजनाओं में आवश्यकतानुसार संस्थागत वित्त भी उपलब्ध कराया जा सकता है। जहां तक सम्पत्ति और दायित्व (Assets and liabilities) का प्रश्न है, योजना के स्वरूप के आधार पर संस्था/विभाग जिसके माध्यम से योजना चलायी जावेगी अथवा लाभार्थियों के होंगे। इस प्रकार की योजनाओं के सम्बन्ध में यह विशेष रूप से ध्यान रखा जाना है कि जो योजनायें ली जायें वे अधिक समय साध्य न हों क्योंकि धन का त्वरित उपयोग किया जाना भी महत्वपूर्ण प्रश्न है।

(6) उपरोक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि आप उपरोक्त परियोजनाओं को अनुश्रवण जिला समिति की बैठक तत्काल बुलायी जावे, उसमें समन्वित परियोजना परियोजनाओं में उपरोक्त धनराशि के व्यय की प्रगति की समीक्षा की जावे और धन क उपयोग हेतु समयबद्ध कार्यक्रम सुनिश्चित कर लिए जाये।

प्रश्नगत धन के उपभोग के बारे में संबंधित अधिकारियों तथा खण्ड विकास अधिकारियों, जो उक्त परियोजनाओं के "परियोजना अधिकारी" हैं, के विशिष्ट उत्तरदायित्व भी सुनिश्चित कर दिए जायं। यदि आवश्यकता हो तो प्रश्नगत व्यय की प्रगति की माह में एक से अधिक बार समीक्षा की जाए और यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी ढिलाई दिखाए उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए।

(7) विशेष केन्द्रीय सहायता के उपयोग के अतिरिक्त दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि अतिशीघ्र 82 विकास खण्डों के समस्त ग्रामों में सर्वेक्षण पूर्ण करा लिया जावे ताकि उसके आधार पर गांवों, न्याय पंचायत तथा प्रत्येक विकास खण्ड की परियोजना ठोस रूप में तैयार हो सके। अभी तक जिलाधिकारियों से किसी भी विकास खण्ड की परियोजना का प्रारूप प्राप्त नहीं हो सका है और जो कार्य किए जा रहे हैं उनके बारे में एक कन्सालीडेटेड रिपोर्ट भी शासन को प्राप्त नहीं हो सकी है जिससे यह मालूम नहीं हो रहा पा रहा है कि इन विकास खण्डों में हरिजनों के संदर्भ में उनकी आवश्यकताओं के सापेक्ष या प्रति पूर्ति हुई और क्या-क्या कमियां रहीं और क्या-क्या कार्य होना शेष है। यद्यपि विकास की प्रक्रिया गतिशील है फिर भी इसे समयबद्ध तरीके से किया जाता है। अतः यह अभी आवश्यक है कि उपरोक्त विकास खण्डों में छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक अनुसूचित जाति के सभी परिवारों को गरीबी की रेखा के ऊपर उठाये जाने का लक्ष्य रखते हुए उन्हें आर्थिक विकास की योजनाओं के अतिरिक्त न्यूनतम आवश्यकताओं तथा जन उपयोगी सुविधाओं जैसे, शिक्षा, पेयजल, आवास, विद्युतीकरण, स्वास्थ्य सेवायें, सरकारी भवन निर्माण आदि को भी उपलब्ध करा देना है। अतः उपरोक्त समस्त बिन्दुओं पर अपने जिले के संबंधित विकास खण्ड/खण्डों के संबंध में हरिजन कल्याण की परियोजना का प्रारूप तथा अब तक हुए कार्यों पर संक्षिप्त किन्तु सुस्पष्ट रिपोर्ट शासन को अविलम्ब प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
राम कृष्ण,
सचिव।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1—समस्त अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण), उत्तर प्रदेश।

2—समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उप विकास आयुक्त, अतिरिक्त जिला अधिकारी (विकास)/(परियोजना), जिला विकास अधिकारी तथा परियोजना निदेशक, उत्तर प्रदेश।

3—समस्त संबंधित 82 विकास खण्डों के खंड विकास अधिकारी।

4—समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

5—निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

6—समस्त उप/सहायक निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से;
राम कृष्ण,
सचिव।